न्यूनतम मजदूरी कानून : एक गलती

साभार : लाइव मिंट

17 अगस्त, 2017

अर्चित पूरी, अनुपम मानुर (तक्षशिला संस्थान में शोधकर्ता)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

कैबिनेट ने हाल ही में मजदूरी संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को वैधानिक अधिकार देने का एक प्रस्ताव है। इस विधेयक को मानसून सत्र में संसद में पेश किया गया था, जिसमें निर्धारित न्यूनतम मासिक मजदूरी का प्रस्ताव शामिल किया गया है, जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी होगा। एक बार पारित हो जाने के बाद, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन निर्धारित नहीं कर सकेगी। इसके माध्यम से चार कानूनों-मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को मिलाकर उसे सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रस्ताव किया गया है।विधेयक का उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में व्याप्त असमानता को कम करना है।

श्रम सुधारों को क्रियान्वित करना हमेशा एक कठिन काम रहा है और पूर्व की सरकारें हमेशा इससे पीछे हटते पाई गई हैं। यहां तक कि वर्ष 1991 के उदारीकरण की महान लहर में भी कोई बाजार सुधारक पहल को अपनाया नहीं गया था। प्रस्तावित वेतन कोड बिल मौजूदा सरकार द्वारा श्रम कानून सुधार में पहला गंभीर उपक्रम है। हालांकि, जटिल और पेचीदा श्रम कानूनों का एकीकरण, जो हमेशा सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, दुर्भाग्य से एक सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी के साथ उलझ गया है। यह सामान्य रूप से कर्मचारियों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक परिणामों का निर्माण करेगा।

यद्यपि वास्तविक न्यूनतम मजदूरी अभी तक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान हैं कि यह मौजूदा मजदूरी दर से काफी अधिक होगा। जिसके परिणामस्वरुप कर्मचारियों की छटनी या नए भर्ती में गिरावट या दोनों हो सकता है। आर्थिक सिद्धांत का सुझाव है कि मूल्य का स्तर, जैसे न्यूनतम मजदूरी, जो यह तय करता है कि कीमत कितनी कम तय की जानी चाहिए, जो अच्छे या सेवा की अतिरिक्त आपूर्ति के रूप में परिणाम देता है। दुनिया भर में किए गए कई अध्ययन इस महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि की पुष्टि करते हैं और दिखाते हैं कि न्यूनतम मजदूरी वास्तव में अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाती है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री जॉर्ज स्टैग्लर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि न्यूनतम मजदूरी अपने मूल इरादों को खत्म नहीं करती अर्थात गरीबी उन्मूलन, बल्कि यह बेरोजगारी में वृद्धि और परिवार की आय को और कम कर देगा।

नेशनल ब्यूरों ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च पेपर में हालिया एक अध्ययन से यह पता चलता है कि सिएटल, वाशिंगटन में 11 से 13 डॉलर तक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कम वेतन वाले नौकरियों में काम करने वाले घंटों में 9% की कमी आई है। ऐसे समय में जब भारत में रोजगार की कमी व्याप्त है और नई नौकरियों के निर्माण की दर एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है तो एक उच्चतम न्यूनतम मजदूरी का वजूद में आना केवल इस स्थिति को और खराब ही करेगी।

विधेयक स्वीकार करता है कि पूरे भारत में और विभिन्न क्षेत्रों में एक सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी काम नहीं कर सकती और इसलिए यह प्रस्तावित करता है कि न्यूनतम मजदूरी सेट को आवश्यक कौशल के आधार पर, काम के स्थान का भौगोलिक स्थान और अन्य कारक जो सरकार को आवश्यक लगता हो, उसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बाद मजदूरी और संशोधनों का निर्धारण सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली ''समितियों और उप-समितियों की संख्या'' के आधार पर की जाएगी। यह सराहनीय है कि विधेयक भौगोलिक स्थानों और काम की प्रकृति में शामिल अंतर को पहचानता है, लेकिन हर मामले के आधार पर इस तरह की विविधताओं को अनुमति देना किसी सिफारिश से कम नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के हाल के अनुभव, जहां कम कर दरों के लिए कई उद्योग न्यूनतम कर को स्थापित करने के लिए सिफारिश कर रहे थे, उन्हें न्यूनतम मजदूरी को स्थापित करने के लिए भी सिफारिश करनी चाहिए थी।

आर्थिक सिद्धांत और साक्ष्य यह भी सुझाव देते हैं कि किसी भी प्रकार का मूल्य नियंत्रण भूमिगत या काले बाजार के निर्माण या विस्तार को प्रेरित करेगा। श्रम बाजार में, इसका मतलब यह होगा कि कंपनियां संविदात्मक श्रम किराया या अनौपचारिक क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के बहुमत को रखना पसंद करेंगे ताकि नए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सके। विधेयक में यह उल्लेख है कि नए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों के लिए लागू है। हालांकि, असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन हमेशा समस्याग्रस्त रहा है और इस विधेयक में किसी भी विवरण को निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि यह कार्यान्वयन अंतराल को कैसे ठीक करेगा। शांती नटराज, फ्रांसिस्को पेरेज-आर्से, सिंधुजा श्रीनिवासन और कृष्ण बी कुमार के 2012 के एक पत्र, ''एलआईसी में रोजगार पर श्रम बाजार के विनियमन का क्या प्रभाव पड़ेगा?'', में हमें यह चेतावनी दी गयी है कि न्यूनतम मजदूरी में 10% की वृद्धि औपचारिक रोजगार को 0.8% कम कर देगा और अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ा देगा। ये दोनों प्रभाव वर्तमान सरकार के प्रचलित उद्देश्यों और लोकप्रिय कथा के खिलाफ हैं अर्थात् यह नौकरी सृजन, अर्थव्यवस्था के औपचारिक रूप और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसानी से बढ़ाएगा।

स्वचालन के डर ने अभी तक भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती नहीं दी है, लेकिन पृष्ठभूमि में यह बहुत बड़ी है। वाहन चालक रहित कारों को अस्वीकार करने पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जोरदार बयान इस बात को इंगित करता है कि यह सरकार की सोच की पृष्ठभूमि में है। उच्चतर न्यूनतम मजदूरी के परिणामस्वरूप, त्वरित स्वचालन की संभावना को उजागर करना महत्वपूर्ण है। कंपनियां मजदूरों की जगह मशीनों को स्थापित करेगी क्योंकि अब मजदूर मशीनों से अधिक महंगे हो गये हैं और मशीने मजदूरों की तुलना में अधिक कुशल, लम्बे समय तक और कम समय में काम को कर सकती हैं। सिएटल में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के संबंध में, फोर्ब्स की रिपोर्ट यह कहती है कि वॉल-मार्ट स्टोर जैसे कई खुदरा दुकानों ने कैशियर को हटाकर स्वयं चेकआउट मशीनों को स्थापित कर दिया है और मैकडॉनल्ड्स कॉर्प जैसे रेस्तरां चेन ने कैशियर को ऐप्स के साथ बदल दिया है।

विशेष रूप से, भारत जैसे श्रम-प्रचुर वाली अर्थव्यवस्था में कंपनियों को पूंजीगत उत्पादन के लिए अपनी प्राथमिकता पर पहले ध्यान देना होता है। इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिव्यू, 2013 के अनुसार, भारत विकास के समान स्तर पर देशों की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में अधिक पूंजीगत-गहन तकनीकों का उपयोग करता है। न्यूनतम मजदूरी में प्रस्तावित वृद्धि सरकार की ओर से एक स्पष्ट प्रयास है जिसे गरीबों और कर्मचारियों के अनुकूल के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार वास्तव में दोनों वर्तमान फसल और कर्मचारियों की भावी पीढ़ी में मदद करना चाहती है तो इसे श्रम कानूनों में पूरी तरह से आसान बनाने पर, अर्थव्यवस्था की औपचारिक को सुविधाजनक बनाने पर और व्यवसायों के लिए नियामक बाधाओं को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

मजदूरी संहिता विधेयक 2017

- इसमें केंद्र को सार्वभौम न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार दिया गया है। इससे असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने इस बिल को पेश किया। इसके माध्यम से चार कानूनों-मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को मिलाकर उसे सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- इस बिल का खास प्रावधान यह है कि किसी मजदूर को तनख्वाह कम दी गई तो उसके नियोक्ता पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा. पांच साल के दौरान ऐसा फिर किया तो 1 लाख जुर्माना या 3 माह की कैद या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान भी है। हालांकि विपक्ष ने इस बात पर विरोध जताया कि सरकार ने अल्प सूचना पर बिल पेश कर दिया। उधर, श्रम मंत्री का कहना था कि अभी बिल पेश किया गया है, इस पर चर्चा बाद में होगी।

समय पर देनी होगी पगार

- दिहाड़ी श्रमिकों को शिफ्ट समाप्त होने पर, साप्ताहिक श्रमिकों को सप्ताह के आखिरी कार्य दिवस तथा पाक्षिक श्रमिकों को कार्यदिवस समाप्ति के बाद दूसरे दिन भुगतान करना होगा। मासिक आधार वालों को अगले माह की सात तारीख तक वेतन देना होगा। श्रमिकों हटाने या बर्खास्त करने या उसके इस्तीफा देने पर पगार दो कार्यदिवस के भीतर देनी होगी।

नियोक्ता के लिए ये राहत

- नियोक्ता के लिए नए बिल में राहत की केवल एक बात है कि वह श्रमिक की मजदूरी तभी काट सकता है जब वह ड्यूटी से गैरहाजिर रहा हो या फिर उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ हो। घर व अन्य सहूलियतें देने की एवज में भी तनख्वाह काटने का अधिकार नियोक्ता को है।

अन्य संबंधित तथ्य

आखिर न्यूनतम मजूदरी का पैमाना क्या होना चाहिए, इस पर काफी लंबे समय से बहस जारी है।

- न्यूनतम वेतन अधिनियम (Minimum Wages law) स्वतंत्र भारत के सबसे प्रारंभिक कानूनों में से एक है, जिसे 1948 में ही संविधान के लागू होने से पहले बना लिया गया था।
- सन् 1948 में उचित मजूदरी तय करने के लिए त्रिपक्षीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने मजदूरी या वेतन को तीन श्रेणी में बांटा था- **(1) जीने के लिए मजदूरी (2) उचित मजदूरी (3) न्यूनतम मजदूरी।**
- जीवन जीने योग्य मजदूरी का अर्थ था, जिसमें मजूदर अपनी मूलभूत तीन आवश्यकताओं के साथ स्वास्थ्य एवं बुढ़ापे के लिए भी सुरक्षा प्राप्त कर सके। उचित मजदूरी पहले वाले से कम थी। न्यूनतम मजदूरी सबसे कम थी और इसका एक संवैधानिक पक्ष भी था।
- आज राष्ट्रवादी नीति निर्धारकों एवं बड़े व्यापारियों में इस बात पर आम सहमति है कि भारत में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन यह कितनी हो, इस पर एकमत होना अभी शेष है।
- कई बार यह भी सवाल उठे हैं कि क्या भारत में न्यूनतम मजदूरी तय करने की आवश्यकता है?
- इस बात को खारिज करने के लिए एक तर्क यह दिया जाता है कि उदारीकरण के दौर में सरकार की बजाय बाजार को न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार होना चाहिए। इससे दक्षता और प्रतियोगिता; दोनों ही बढ़ेंगे।
- न्यूनतम मजदूरी की बात को यह कहकर भी नकारा जाता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 'मेक-इन-इंडिया' के नारे के लिए यह उचित नहीं है। मेक-इन-इंडिया' का सपना पूरा करने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका तथा कंबोडिया जैसे देशों की अपेक्षा भारत में मजूदरी का कम होना बहुत जरूरी है। हाल में चीन में मजदूरी बढ़ने के कारण वहाँ के कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे उन देशों में जा रहे हैं, जहाँ मजूदरी कम है।
- अर्थशास्त्री इसकी सार्थकता न देखते हुए न्यूनतम मजूदरी अधिनियम को ही खत्म करने की बात करते हैं। उनका कहना है कि जब भारत अभी तक 1970 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के न्यूनतम मजूदरी संबंधी दिशानिर्देशों को लागू नहीं कर पाया है, तो फिर इस अधिनियम को बनाए रखने का क्या लाभ है?
- सच्चाई यह है कि इस अधिनियम को भले ही किसी सरकार ने गंभीरता से न लिया हो परंतु किसी सरकार ने इसे रद्द करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई है।
- भारतीय मजूदर संघ के ए.के. पद्मनाभ का कहना है कि 'अगर सरकार अनुबंधित श्रमिकों का सचमुच में हित चाहती है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करके नियमित एवं अनुबंधित श्रमिकों के वेतन में समानता लानी होगी।'
- सरकार चाहे तो न्यूनतम मजदूरी की दर को तय करने लिए एक सुधार प्रस्ताव ला सकती है। उम्मीद है कि यह आम सहमति से पारित भी हो जायेगा। इससे अनुबंधित श्रमिकों की दशा में निश्चित रूप से सुधार होगा।

संभावित प्रश्न

''प्रस्तावित मजदूरी कोड बिल, जो एक सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी को शामिल करता है, अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी और अनौपचारिकता को बढ़ावा देगा।'' इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(200 शब्द)